दूरभाष सामान्य/Genl: 25233230-34 Phone / विभाग/ Dept: 25226959 फैक्स/FAX: 25228282 ई-मेल/E-Mail: dgmdo@indian-bank.com ई-मेल/E-Mail: hobod@indianbank.co.in	बैंकिंग परिचालन विभाग, Banking Operations Dept. प्रधान कार्यालय/Head Office 66, राजाजी साले/ Rajaji Salai चेन्नै/Chennai- 600 001

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा - (ईसीएस) - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा(ईसीएस) क्या है?

उत्तर:- यह क्लियरिंग हाउस की सेवाओं का उपयोग करके एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का एक तरीका है। यह आम तौर पर इस का प्रयोग एक खाते से कई खातों या इसके विपरीत थोक अंतरणों(बल्क ट्रांसफर्स) के लिए होता है। इसका उपयोग संस्थानों द्वारा लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण जैसे भुगतान हेतु या यूटिलिटी कंपनियों जैसे टेलीफोन, बिजली, या गृह कर, जल कर जैसे शुल्कों के भुगतान के लिए राशि के संग्रह आदि हेतु किया जा सकता है। या वित्तीय संस्थानों / बैंकों की ऋण किश्तों या व्यक्तियों के नियमित निवेश के लिए किया जा सकता है।

प्रश्न 2. ईसीएस कितने प्रकार के होते हैं? किस प्रकार से वे एक दूसरे से भिन्न हैं?

उत्तर:- ईसीएस दो प्रकार के होते हैं जिन्हें ईसीएस(क्रेडिट) और ईसीएस(डेबिट) कहा जाता है।
ईसीएस (क्रेडिट) के माध्यम से एक खाते में एक ही डेबिट कर, बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभांश, ब्याज या वेतन भुगतान इत्यादि क्रेडिट किया जाता है।
ईसीएस (डेबिट) के माध्यम से उपभोक्ताओं/खाता धारकों के कई खातों में डेबिट कर किसी विशेष संस्थान को क्रेडिट किया जाता है।

ईसीएस क्रेडिट सिस्टम की कार्यप्रणाली

प्रश्न 3. ईसीएस (क्रेडिट) लेनदेन कौन आरंभ कर सकता है?

उत्तर:- ईसीएस भुगतान किसी भी संस्था (ईसीएस उपयोगकर्ता) द्वारा शुरू किया जा सकता है, जिन्हें कई लाभार्थियों को थोक या बार-बार भुगतान करना पड़ता है। वे एक अनुमोदित क्लियरिंग हाउस के साथ खुद को पंजीकृत करने के बाद लेनदेन शुरू कर सकते हैं। ईसीएस उपयोगकर्ताओं को ईसीएस समाशोधन का उपयोग करने के लिए लाभार्थी के खाते के विवरण के साथ उसकी सहमति भी प्राप्त करनी होगी।

इस योजना अंतर्गत ईसीएस उपयोगकर्ता के बैंक को प्रायोजक बैंक कहा जाता और ईसीएस के लाभार्थी खाता धारक को गंतव्य खाता धारक कहा जाता है। गंतव्य खाता धारक के बैंक या लाभार्थी के बैंक को गंतव्य बैंक कहा जाता है।

नियमित या दुहराये जाने वाले भुगतानों के लाभार्थी भी भुगतान करने वाली संस्था से प्रभावी भुगतान के लिए ईसीएस (क्रेडिट) माध्यम का उपयोग करने का अनुरोध कर सकते हैं।

प्रश्न 4. ईसीएस क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है?

उत्तर:- भुगतान करने के इच्छुक ईसीएस प्रयोक्ता को अनुमोदित क्लियरिंग हाउस में से किसी एक को निर्दिष्ट प्रारूप में डेटा प्रस्तुत करना होता है। अनुमोदित क्लियरिंग हाउस की सूची या केंद्रों की सूची जहां ईसीएस सुविधा प्रदान की गई है, www.rbi.org.inपर उपलब्ध है।

दूरभाष सामान्य/Genl: 25233230-34 **Phone / विभाग/ Dept: 25226959** **फैक्स/FAX: 25228282** **ई-मेल/E-Mail: dgmdo@indian-bank.com** **ई-मेल/E-Mail: hobod@indianbank.co.in**	**बैंकिंग परिचालन विभाग,** **Banking Operations Dept.** **प्रधान कार्यालय/Head Office** **66, राजाजी साले/ Rajaji Salai** **चेन्नै/Chennai- 600 001**

क्लियरिंग हाउस ईसीएस उपयोगकर्ता के खाते को प्रायोजक बैंक के खाते के माध्यम से नियत दिन पर डेबिट करेगा और अंतिम लाभार्थियों के खातों में आगे क्रेडिट जमा करने के लिए प्राप्तकर्ता बैंकों के खातों को क्रेडिट करेगा।

प्रश्न 5. किन केंद्रों पर ईसीएस की सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर:- वर्तमान में 68 से अधिक केंद्रों पर ईसीएस सुविधा उपलब्ध है और इसकी सम्पूर्ण सूची आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ईसीएस का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को इन केंद्रों में से किसी एक बैंक में खाता बनाए रखने की आवश्यकता है।

प्रश्न 6. ईसीएस (क्रेडिट) योजना में लाभार्थी कैसे भाग ले सकते हैं ?

उत्तर:- लाभार्थी को ईसीएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपनी सहमति देते हुए एक अधिदेश प्रस्तुत करना होगा। उसे ईसीएस उपयोगकर्ता को अपनी बैंक शाखा का विवरण और खाता विवरण भी बताना होगा। इस तरह के प्राधिकरण फॉर्म को अधिदेश(मैंडेट) कहा जाता है।

प्रश्न 7. क्या लाभार्थी को इस अधिदेश को बदलने की कोई आवश्यकता होगी ?

उत्तर:- हां। यदि जानकारी/खाते के विवरण में परिवर्तन होता है, तो उसे ईसीएस उपयोगकर्ता से निरंतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन के संबंध में ईसीएस उपयोगकर्ता को सूचित करना होगा। यदि गंतव्य शाखा में खाता विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो गंतव्य शाखाएं अपनी सेवा शाखा के माध्यम से क्लियरिंग हाउस को क्रेडिट वापस कर देंगी।

प्रश्न 8. क्रेडिट के बारे में लाभार्थियों को कौन सूचित करेगा?

उत्तर:- यह ईसीएस उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह लाभार्थी को क्रेडिट की प्रस्तावित तिथि, राशि और भुगतान से संबंधित जानकारी बताते हुए उसके खाते में दिये जा रहे क्रेडिट का विवरण दे। ताकि लाभार्थी इसका मिलान बैंक द्वारा प्रस्तुत खाता विवरण/पासबुक विवरण से कर सकें ।

प्रश्न 9. अंतिम लाभार्थी को क्या लाभ हैं?

उत्तर:

- भौतिक कागजी लिखतों के लिए लाभार्थी को अपने बैंक में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं है।
- उसे लिखत के खो जाने और कपटपूर्ण नकदीकरण की आशंका नहीं है।
- कागजी लिखत प्राप्त होने के बाद प्राप्तियों की वसूली में विलंब से बचाव ।

प्र.10. यह योजना ईसीएस उपयोगकर्ता जैसे कॉर्पोरेट निकायों/संस्थानों को कैसे लाभान्वित करती है?

उत्तर. ईसीएस उपयोगकर्ता मुद्रण, प्रेषण और मिलान के लिए प्रशासनिक मशीनरी पर होने वाले व्यय पर बचत करता है।

- डाक पारगमन में लिखतों के खो जाने की संभावना से बचा जाता है।
- नकदीकरण एवं कागजी लिखतों तक कपटपूर्ण पहुंच के कारण होने वाली धोखाधड़ी की संभावना से बचा जाता है ।
- भुगतान की क्षमता एवं सुनिश्चयन कि यह क्रेडिट लाभार्थियों के खाते में निर्दिष्ट तिथि को कर दिया गया है।

दूरभाष सामान्य/Genl: 25233230-34 **Phone / विभाग/ Dept: 25226959** **फैक्स/FAX: 25228282** **ई-मेल/E-Mail: dgmdo@indian-bank.com** **ई-मेल/E-Mail: hobod@indianbank.co.in**	**बैंकिंग परिचालन विभाग,** **Banking Operations Dept.** **प्रधान कार्यालय/Head Office** **66, राजाजी साले/ Rajaji Salai** **चेन्नै/Chennai- 600 001**

प्रश्न11. बैंकों को क्या लाभ है ?

उत्तर:- ईसीएस का संचालन करने वाले बैंकों को पेपर हैंडलिंग से मुक्ति मिलती है।

- पेपर हैंडलिंग से भी बैंकों पर बहुत दबाव पड़ता है क्योंकि उन्हें लिखतों को एनकोड करना होता है, उन्हें समाशोधन में प्रस्तुत करना होता है, उनकी वापसी की निगरानी करनी होती है और संबंधित बैंक और ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी होती है।
- ईसीएस में, बैंक केवल अपने ग्राहकों से संबंधित भुगतान विवरण प्राप्त करते हैं। उन्हें बस इतना करना है कि खाते के विवरण जैसे नाम, खाता संख्या और आय का मिलान करें और क्रेडिट करें।
- प्रक्रिया के अनुसार जहां भी विवरण मेल नहीं खाते हैं, उन्हें इसे वापस करना होता है ।

प्र.12 ग्राहक इन भुगतानों को कैसे ट्रैक-डाउन कर सकता है?

उत्तर:- बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को दी गई पासबुक/विवरण ईसीएस उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए लेनदेन के विवरण को दर्शाते हैं। ग्राहक इन प्रविष्टियों का मिलान भुगतान संस्थान से प्राप्त सूचना से कर सकते हैं।

प्रश्न 13. क्या व्यक्तिगत लेनदेन की राशि की कोई सीमा है?

उत्तर :- योजना के तहत व्यक्तिगत लेनदेन की राशि पर कोई मूल्य सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्र.14 प्रोसेसिंग/सेवा शुल्क क्या हैं? क्या यह एक महंगी सेवा है?

उत्तर:- भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोजक बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। क्लियरिंग हाउस का प्रबंधन करने वाले आरबीआई और अन्य बैंकों द्वारा लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क को 31 मार्च, 2008 तक के लिए माफ कर दिया गया है।

प्र.15. क्या कॉरपोरेट्स/संस्थानों के लिए निवेशकों से अधिदेश एकत्र करना आवश्यक है?

उत्तर:- हां। इस उद्देश्य के लिए एक मॉडल मैंडेट फॉर्म निर्धारित किया गया है। डेटाबेस तैयार होने के बाद बैंकों द्वारा भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाती है। सेबी ने निवेशकों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं कि वे ब्याज/लाभांश वारंट पर इसे प्रिंट करने के लिए अपने शेयर आवेदनों में अपना खाता संख्या भरें, खाता विवरण और अधिदेश एकत्र करने में ज्यादा समस्या नहीं होती है।

दूरभाष सामान्य/Genl: 25233230-34 Phone / विभाग/ Dept: 25226959 फैक्स/FAX: 25228282 ई-मेल/E-Mail: dgmdo@indian-bank.com ई-मेल/E-Mail: hobod@indianbank.co.in	बैंकिंग परिचालन विभाग, Banking Operations Dept. प्रधान कार्यालय/Head Office 66, राजाजी साले/ Rajaji Salai चेन्नै/Chennai- 600 001

ईसीएस डेबिट प्रणाली

प्र.16. ईसीएस (डेबिट) योजना क्या है?

उत्तर:- यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत बैंक का खाता धारक ईसीएस उपयोगकर्ता को उसके खाते में डेबिट करके एक निर्धारित आवृत्ति पर राशि वसूल करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ईसीएस उपयोगकर्ता को इस तरह के डेबिट को बढ़ाने के लिए एक प्राधिकरण प्राप्त करना होता है जिसे ईसीएस अधिदेश कहा जाता है। इन अधिदेशों को खाता रखने वाली बैंक शाखा द्वारा पृष्ठांकित किया जाना है।

प्र.17. यह योजना कैसे काम करती है?

उत्तर:- योजना में भाग लेने के इच्छुक किसी भी ईसीएस उपयोगकर्ता को एक अनुमोदित क्लियरिंग हाउस में पंजीकरण कराना होगा। अनुमोदित क्लियरिंग हाउस की सूची आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। उसे प्राप्तकर्ता गंतव्य खाताधारकों से, बैंक की पावती के साथ अधिदेश प्रपत्र भी प्राप्त करने चाहिए। अधिदेश की एक प्रति अदाकर्ता बैंक के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

ईसीएस उपयोगकर्ता द्वारा डेटा को निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रायोजक बैंक के माध्यम से क्लियरिंग हाउस में जमा करना होता है। क्लियरिंग हाउस, समाशोधन प्रणाली के माध्यम से गंतव्य खाताधारक को डेबिट पर पारित करेगा और ईसीएस उपयोगकर्ता को आगे क्रेडिट करने के लिए प्रायोजक बैंक के खाते को जमा करेगा। निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सभी असंसाधित डेबिट प्रायोजक बैंक को वापस करना होगा। बैंक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों को भौतिक चेक के समतुल्य मानेंगे।

प्र.18. अंतिम लाभार्थी को क्या लाभ हैं?

- परेशानी मुक्त - ग्राहकों को संग्रह केंद्रों / बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और भुगतान के लिए लंबी कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है।
- मन की शांति- ग्राहकों को अंतिम तिथियों तक भुगतानों को ट्रैक करने की भी आवश्यकता नहीं है।
- ईसीएस उपयोगकर्ताओं द्वारा डेबिट की निगरानी की जा सकती है ।

प्र.19. यह योजना ईसीएस उपयोगकर्ता जैसे कॉर्पोरेट निकायों/संस्थानों को कैसे लाभान्वित करती है?

उत्तर:

- ईसीएस उपयोगकर्ता चेक एकत्र करने, निगरानी उनकी प्राप्ति और सामंजस्य करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी पर होने वाले व्यय पर बचत करता है।
- बेहतर नकदी प्रबंधन।
- नकदीकरण और कागजी लिखतों तक कपटपूर्ण पहुंच के कारण होने वाली धोखाधड़ी की संभावना से बचा जाता है।
- भुगतानों की पृथक्क प्राप्ति के बजाय उनका एक ही तिथि पर भुगतान प्राप्त हो जाता है ।

प्र.20. बैंकों को क्या लाभ है?

उत्तर : ईसीएस का उपयोग करने वाले बैंकों को पेपर हैंडलिंग से मुक्ति मिलती है।

ईसीएस का संचालन करने वाले बैंकों को पेपर हैंडलिंग से मुक्ति मिलती है।

दूरभाष सामान्य/Genl: 25233230-34 **Phone / विभाग/ Dept: 25226959** **फैक्स/FAX: 25228282** **ई-मेल/E-Mail: dgmdo@indian-bank.com** **ई-मेल/E-Mail: hobod@indianbank.co.in**	**बैंकिंग परिचालन विभाग,** **Banking Operations Dept.** **प्रधान कार्यालय/Head Office** **66, राजाजी सालै/ Rajaji Salai** **चेन्नै/Chennai- 600 001**

- पेपर हैंडलिंग से भी बैंकों पर बहुत दबाव पड़ता है क्योंकि उन्हें लिखतों को एनकोड करना होता है, उन्हें समाशोधन में प्रस्तुत करना होता है, उनकी वापसी की निगरानी करनी होती है और संबंधित बैंक और ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी होती है।
- ईसीएस में, बैंक केवल अपने ग्राहकों से संबंधित भुगतान विवरण प्राप्त करते हैं। उन्हें बस इतना करना है कि खाते के विवरण जैसे नाम, खाता संख्या और आय का मिलान करें और क्रेडिट करें।
- प्रक्रिया के अनुसार जहां भी विवरण मेल नहीं खाते हैं, उन्हें इसे वापस करना होता है ।

प्र.21. क्या एक बार दिया गया अधिदेश वापस लिया या रोका जा सकता है?

उत्तर:- हां। ग्राहक द्वारा दिया गया अधिदेश जारी किए गए चेक के बराबर है। योजना के तहत एकमात्र शर्त यह है कि ग्राहक को ईसीएस उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व सूचना देनी होगी कि वे डेबिट को शामिल नहीं करते हैं।

प्र.22. क्या ग्राहक कोई अधिदेश हेतु अधिकतम डेबिट, उद्देश्य या वैधता अवधि निर्धारित कर सकता है?

उत्तर. हाँ। इन पहलुओं को अंतिम रूप देना व्यक्तिगत ग्राहक और ईसीएस उपयोगकर्ता की पसंद पर छोड़ दिया गया है। अधिदेश में अधिकतम सीमा हो सकती है; यह इसके उद्देश्य और वैधता अवधि को भी निर्दिष्ट कर सकता है ।

प्र.23. योजना का वर्तमान कवरेज क्या है?

उत्तर. वर्तमान में यह योजना 15 आरबीआई केंद्रों (यानी केंद्र जहां आरबीआई क्लियरिंग हाउस परिचालन का प्रबंधन करता है) और अन्य केंद्रों पर चल रही है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्लियरिंग परिचालन का प्रबंधन करते हैं। प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के तहत केंद्रों की सूची आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्र.24. व्यक्तिगत लेनदेन पर प्रसंस्करण शुल्क?

उत्तर: आरबीआई ने प्रायोजक बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। आरबीआई ने मार्च 2008 तक क्लियरिंग हाउस का प्रबंधन करने वाले आरबीआई और अन्य बैंकों द्वारा लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क को माफ कर दिया है।

प्र.25. ईसीएस डेबिट योजना में शामिल होने के लिए कौन से संस्थान पात्र हैं?

उत्तर:- उपयोगिता सेवा प्रदाता जैसे टेलीफोन कंपनियां, बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियां, बिजली बोर्ड, क्रेडिट कार्ड संग्रह, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण किश्तों का संग्रह, और म्युचुअल फंड की निवेश योजनाएं आदि।

दूरभाष सामान्य/Genl: 25233230-34 Phone / विभाग/ Dept: 25226959 फैक्स/FAX: 25228282 ई-मेल/E-Mail: dgmdo@indian-bank.com ई-मेल/E-Mail: hobod@indianbank.co.in	बैंकिंग परिचालन विभाग, Banking Operations Dept. प्रधान कार्यालय/Head Office 66, राजाजी सालै/ Rajaji Salai चेन्नै/Chennai- 600 001

ईसीएस (क्रेडिट और डेबिट) केंद्रों की सूची

क्रम. संख्या	केंद्र का नाम	क्रम. संख्या	केंद्र का नाम
आरबीआई द्वारा प्रबंधित		**भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रबंधित**	
1	अहमदाबाद	1	बड़ौदा
2	बैंगलोर	2	देहरादून
3	भुवनेश्वर	3	नासिक
4	कोलकाता	4	पणजी
5	चंडीगढ़	5	सूरत
6	चेन्नई	6	त्रिची
7	गुवाहाटी	7	त्रिचूर
8	हैदराबाद	8	जोधपुर
9	जयपुर	9	ग्वालियर
10	कानपुर	10	जबलपुर
11	मुंबई	11	रायपुर
12	नागपुर	12	कालीकट
13	नई दिल्ली	13	सिलीगुड़ी (गैर-एमआईसीआर)
14	पटना	14	पांडिचेरी
15	तिरुपुरम	15	हुबली
		16	शिमला (गैर-एमआईसीआर)
		17	तिरुपुर
		18	बर्दवान (गैर-एमआईसीआर)
		19	दुर्गापुर (गैर-एमआईसीआर)
		20	शोलापुर
		21	रांची
		22	तिरुपति (गैर-एमआईसीआर)
		23	धनबाद (गैर-एमआईसीआर)
		24	नेल्लोर (गैर-एमआईसीआर)
		25	काकीनाडड़ा (गैर-एमआईसीआर)
		पीएनबी द्वारा प्रबंधित	
		1	आगरा
		2	इलाहाबाद
		3	जालंधर
		4	लखनऊ
		5	लुधियाना
		6	वाराणसी
		7	कोल्हापुर
		8	औरंगाबाद
		9	मैसूर

दूरभाष सामान्य/Genl: 25233230-34
Phone / विभाग/ Dept: 25226959
फैक्स/FAX: 25228282
ई-मेल/E-Mail: dgmdo@indian-bank.com
ई-मेल/E-Mail: hobod@indianbank.co.in

बैंकिंग परिचालन विभाग,
Banking Operations Dept.
प्रधान कार्यालय/Head Office
66, राजाजी सालै/ Rajaji Salai
चेन्नै/Chennai- 600 001

		10	इरोड
		11	उदयपुर
		12	गोरखपुर
		13	जम्मू
		स्टेट बैंक ऑफ इंदौर द्वारा प्रबंधित	
		1	इंदौर
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित	
		1	पुणे
		2	सेलम
		3	जमशेदपुर
		आंध्रा बैंक द्वारा प्रबंधित	
		1	विशाखापत्तनम
		कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा प्रबंधित	
		1	मैंगलोर
		बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रबंधित	
		1	कोयम्बटूर
		2	राजकोट
		स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर द्वारा प्रबंधित	
		1	कोच्चि/एर्नाकुलम
		सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित	
		1	भोपाल
		केनरा बैंक द्वारा प्रबंधित	
		1	मदुरै
		ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रबंधित	
		1	अमृतसर
		यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित	
		1	हल्दिया (गैर -एमआईसीआर)
		स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा प्रबंधित	
		1	विजयवाड़ा
		स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर द्वारा प्रबंधित	
		1	भीलवाड़ा